प्रेस नोट दिनांक 19.01.2025
थाना शाही जनपद बरेली

थाना शाही बरेली पुलिस द्वारा थाना शाही क्षेत्रांतर्गत मेला में हुई हत्या की घटना में प्रकाश में आये अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल सहित किया गया गिरफ्तार ।

वादिनी वन्दना पत्नी रवि सिंह निवासी ग्राम जुन्हाई थाना शाही जिला बरेली के देवर अमित सिंह का गांव के ही आकाश सिंह पुत्र ऋषिपाल सिहं से मेरठ मे विवाद हुआ था तथा दिनांक 25/10/2024 को समय करीब 10.00 बजे रात्रि में वादिनी वन्दना उपरोक्त के पति रवि सिंह ने आकाश सिंह से गाँव में शिकायत की कहा कि तुने मेरे भाई को मेरठ में क्यो मारा पीटा तो आकाश सिहं उपरोक्त व अमन व सुभाष सिंह पुत्र गण ऋषिपाल व ऋषिपाल पुत्र रूप सिंह मिल कर बोले ऐसे ही मारेंगे, बोले लडके बुलाकर तुझे भी मारेगें। दिनांक 26/10/024 को समय करीब 02.00 बजे रात्रि में गाँव जुन्हाई में रामलीला का मेला समाप्त हो चुका था सब अपने घर जा चुके थे तभी वादिनी के पति रवि सिंह व उसके साथी उनके गाँव के ही गौरव सिंह पुत्र होमलाल सिंह व दीपक सिंह पुत्र राजवीर सिंह व सोनू सिंह पुत्र प्रेमपाल सिंह मंच पर बैठे थे तभी वही पर चार मोटर साईकिलों से नितिन यादव पुत्र भूरे निवासी ग्राम कुडका थाना शेरगंढ बरेली 6 -7 लडको के साथ उपरोक्त चारो के बुलाने पर आये और उपरोक्त चारों व सभी लोगों ने मिलकर गन्दी गन्दी गालियां देते हुए मार पीट करना शुरु कर दी तथा जान से मारने की नियत से तमन्चे से हवाई फायर किया और बुरी तरह मारना पीटना शुरु कर दिया। जान से मारने की धमकी देते हुये वादिनी के पति रवि के लोहे की रॉड व लाठी डण्डो से मार पीट कर हत्या कर दी तथा वादिनी के पति रवि को बचाने में उनके साथी गौरव सिंह व दीपक सिंह व सोनू सिंह के चोटे आ गयी थी।

उपरोक्त के सम्बन्ध में वादिनी उपरोक्त की लिखित तहरीर के आधार पर थाना शाही पर दिनांक 26/10/2024 को अभियुक्त 01. आकाश सिहं पुत्र ऋषिपाल 02. अमन पुत्र ऋषिपाल 03. सुभाष सिंह पुत्र ऋषिपाल 04. ऋषिपाल पुत्र रूप सिंह निवासी गण ग्राम जुन्हाई थाना शाही जिला बरेली 05. नितिन यादव पुत्र भूरे निवासी ग्राम कुडका नगरिया थाना शेरगढ जिला बरेली तथा 06-07 व्यक्ति नाम पता अज्ञात उपरोक्त के विरूद्ध मु0अ0सं0 364/2024 धारा 191(2)/191(3)/ 190/103(1)/115(2)/352/351(2) BNS पंजीकृत किया गया।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना प्रभारी शाही के नेतृत्व में थाना शाही पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 364/2024 धारा 191(2)/191(3)/190/103(1)/115(2)/352/351(2) BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट में विवेचना के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्त राजवीर पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम फरदिया मनकरा थाना बहेड़ी जनपद बरेली उम्र करीब 22 वर्ष को आज दिनांक 19.01.2025 को समय 12.25 बजे शेरगढ़ से शाही जाने वाले मुख्य मार्ग से गिरफ्तार कर अभियुक्त उपरोक्त की निशानदेही पर आलाकत्ल एक बांस का डन्डा बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गयी।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

01. राजवीर पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम फरदिया मनकरा थाना बहेडी जनपद बरेली उम्र करीब 22 वर्ष

बरामदगी-

01. आला कत्ल एक अदद बांस का डन्डा

पुलिस टीम-

01. थानाध्यक्ष अमित कुमार थाना शाही जनपद बरेली ।
02. व0उ0नि0 सुधीर कुमार थाना शाही जनपद बरेली ।
03. उ0नि0 आबिद अली थाना शाही जनपद बरेली ।
04. का0 405 शेखर वर्मा थाना शाही जनपद बरेली ।
05. का0 3339 अमित चौधरी थाना शाही जनपद बरेली ।
06. का0 2167 प्रदीप कुमार थाना शाही जनपद बरेली ।